RAJYA SABHA

Tuesday, the 19th March, 2002/28 Phalguna, 1923 (Saka)

The House met at eleven of the clock, Mr. Chairman *in the Chair.*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Currency management of RBI

*221. SHRIMATI SARLA MAHESHWARI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the growing menace of free flow of counterfeit currency notes from across the borders, particularly Indo-Nepal Border;

(b) if so, the details in this regard;

(c) whether it is a fact that this has been the result of bad currency management of RBI; and

(d) if so, the steps taken by Government to improve the currency management of RBI?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) Yes, Sir.

(b) Fake Indian Currency Notes (FICN) seized by the Police and recovered by the Banks since 1998 are as follows:—

Year	Notes Seized/Recovered	
	Number	Value (Rs. lakhs)
1998	46,402	64.97
1999	1,11,969	183.35
2000	2,83,790	594.47
2001 (upto June)	1,21,003	320.82

However, seizures/recoveries are an insignificant proportion of the total volume of genuine bank notes in circulation.

(c) No, Sir.

(d) There is no direct correlation between management of currency by the RBI and FICN. However, the Government has taken a number of steps to curb the menace of counterfeiting. These, *inter-alia*, include:

(1) Incorporation of additional security features, particularly in the higher denomination notes.

(2) Publicising security features through the print and electronic media.

(3) Withdrawal of soiled notes from circulation for ensuring clean notes to the public.

(4) Installation of Ultra Violet lamps in the public sector bank branches to enable easy detection of counterfeits.

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सभापति जी, मंत्री जी का उत्तर मैंने देखा है और मंत्री जी अपने उत्तर में इस बात को स्वीकारते हैं कि जाली नोटों का निर्बाध आवागमन लगातार जारी है और इसका खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है लेकिन मंत्री जी जिस बात को स्वीकारना नहीं चाहते, वह यह है कि उनकी करेंसी व्यवस्था और जाली नोटों के बीच में कोई रिश्ता भी है। मैं मंत्री जी का ध्यान इसी बात की ओर दिलाना चाहती हूं।

सभापति महोदय, अक्सर हम यह देखते हैं कि बाजार में मुद्रा की मांग में उतार-चढ़ाव होता रहता है और औसतन यह देखा गया है कि कई वर्षों में अचानक तेजी आती है और अचानक गिरावट आती है। अगर इन आंकड़ों को मैं आपके सामने रखूं और इन आंकड़ों की आप व्याख्या करें तो शायद आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि 1999-2000 में जहां करेंसी में औसत वृद्धि की दर 16.3 प्रतिशत थी, वहीं 2000-2001 में यह 9.1 प्रतिशत थी। महोदय, 1975-76 के बाद यह पहला मौका था जब मुद्रा की मांग में वृद्धि की दर एक-अंकीय थी यानी सिंगल डिजिट थी और यही वह समय था जब बाज़ार में जाली नोटों की बहुतायत देखी गई। इसी से पता चलता है कि जाली नोटों की संख्या का बढ़ना और बाज़ार में मुद्रा की कमी होना, इसके बीच में कोई संबंध है या नहीं।

सभापति महोदय, रिज़र्व बैंक की सालाना रिपोर्ट में 2001-2002 में नकदी की मांग में आई कमी के कारणों को बताते हुए कहा गया है कि कमी का कारण आर्थिक गतिविधियों में ह्रास है।

मेरा सवाल यह है कि नकदी की मांग में जो कमी है और जो भारी मात्रा में प्रचलित जाली नोट हैं, उनके साथ आप इसको जोड़कर क्यों नहीं देखते हैं? आपके आंकड़े यह बताते हैं कि एक साल में जो पकड़े गए जाली नोट हैं, उनकी संख्या दुगुनी-तिगुनी बढ़ती जा रही है और आपने वर्ष 2002 का जो आंकड़ा दिया है, उसके पहले छह महीनों का जो आंकड़ा दिया है, उसको देखने से लगता है कि अभी यह संख्या और बढ़ेगी। इसलिए मेरा सवाल यह है कि 2000-2001 में नकदी की मांग में जो कमी देखी गई, क्या उससे प्रचलन में आए जाली नोटों का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है? क्या सरकार ने इस लिहाज़ से इसका कभी अध्ययन किया है? एक साल में अचानक नकदी की मांग में जो 6.8 प्रतिशत की कमी आई, उसका एक बड़ा हिस्सा जाली नोटों का हो सकता है। क्या इस बात को ध्यान में रखकर आपने कोई अध्ययन किया है?

सभापति महोदय, हिंदुस्तान टाईम्स में एक रिपोर्ट छपी है जिसके अध्ययन से यह पता चलता है कि हमारे यहां बाज़ार में जितनी मुद्रा प्रचलन में है, उसका 15 फीसदी हिस्सा जाली नोटों का है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आप इस संबंध को स्वीकारते हुए इसका अध्ययन करेंगे?

श्री यशवंत सिन्हा: सभापति महोदय, इस प्रश्न में ही यह सन्निहित था कि RBI के मुद्रा विस्तार या मुद्रा प्रबंधन की जो नीति है, क्या उससे जाली नोटों को प्रोत्साहन मिल रहा है। इसके उत्तर में हम लोगों ने कहा है कि दोनों के बीच में कोई सीधा संबंध स्थापित करना मुश्किल है। मुद्रा की जो मात्रा है, वह बाज़ार में क्यों बढ़ती है, क्यों घटती है, इसके कई कारण हैं और एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि यदि हमारे यहां विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ता है तो उसके चलते देश के भीतर जो मुद्रा का विस्तार है, वह भी बढ़ता है। इसी तरह जब आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं, तब भी मुद्रा का विस्तार बढ़ता है। तो इसके कई कारण हैं और जाली नोटों का प्रचलन ही इसका मुख्य कारण है, यह शायद स्वीकार करना मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इसका हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है।

सभापति महोदय, में एक आंकड़ा सदन के सामने रखना चाहता हूं कि हम दो प्रकार से जाली नोटों को डिटेक्ट करते हैं। एक तो जो नोट बैंक में पहुंचा, वहां पर डिटेक्ट हुआ और रख लिया गया और दूसरा जो कि पुलिस के माध्यम से सीज होता है, जो स्मगलर्स फेक करेंसी नोट लाते हैं अगर उनको पुलिस ने या दूसरी एजेंसीज ने पकड़ा, कस्टम ने पकड़ा तो वह सीज होते हैं। जब इन दोनों आंकड़ों को पिछले वर्षों की तुलना में हमने देखा तो हमने पाया है 31 दिसम्बर, 2000 तक जो आंकड़े उपलब्ध हैं, उनके अनुसार अगर पूरे देश में एक लाख 96 हजार 110 करोड़ की मुद्रा का प्रचलन था तो इसकी तुलना में जो पकड़ा गया या फेक इंडियन

करेंसी डिटेक्ट हुआ, वह 5.94 करोड़ रुपये था। जो दिखाता है कि इसका जो अंश है वह हमारी करेंसी सर्कुलेशन में 0.00003 परसेंट है। मैं अखबार की उस रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि 15 प्रतिशत जाली नोट है। सरकार के पास जो आंकड़े हैं, उनसे यह सिद्ध नहीं होता है। यह कैसे उनके पास आया है, इसके बारे में मैं बता नहीं सकता हूं। लेकिन इतना में जरूर विश्वास के साथ कहूंगा कि पिछले तीन-चार वर्षों में हमने भी पाया है कि पाकिस्तान की गतिविधि तेज हुई है। इसके बहुत सारे हमारे पास प्रमाण हैं, जिनसे जाहिर होता है कि पाकिस्तान की एजेंसियां फेक इंडियन करेंसी नोट का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, वह इसे देश में स्मगलिंग करने का प्रयास कर रही हैं। जब से यह बढ़ा है तब से हमारा सीजर भी बढ़ा है। पिछले चार सालों का आंकड़ा यह दिखाता है कि इसमें हम लोग भी ज्यादा अलर्ट हुए हैं, हम ज्यादा इसको पकड़ रहे हैं और इनकी संख्या भी कुछ बढ़ी है। लेकिन इतनी नहीं बढ़ी है कि वह हमारी अर्थ-व्यवस्था को विचलित कर सके।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सभापति महोदय, मैंने मंत्री जी का उत्तर सुना है। मंत्री जी इस बात को कह रहे हैं कि जो हमारी मुद्रा प्रचलन में है, उसमें जाली नोटों का प्रतिशत बहुत ही न्यूनतम है और वह हमारी अर्थ-व्यवस्था को प्रभावित नहीं करता है। उन्होंने मुझे यह भी कहते हुए उद्धृत किया कि मैंने यह भी कहा कि यह प्रमुख कारण है, लेकिन मैंने यह नहीं कहा था कि यह प्रमुख कारण है। मैंने यह कहा कि इस दृष्टिकोण से भी विचार किया जाना चाहिए। मंत्री जी आप इस बात का दावा कर रहे हैं कि इतने जाली नोट पकड़े गये, 0.00003 प्रतिशत उनका कुल करेंसी में अनुपात था। मैं यह कहना चाहती हूं कि पकड़े गए नोटों से इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि आपने तमाम जाली नोटों को पकड़ लिया है, आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकते हैं। यह पहली बात है कि मैं इनके निष्कर्ष से अलग मत रखती हूं। उनका यह मत सही नहीं है। इस बात का आकलन करना और इस बात को उड़ा देना और कहना कि हम इस दृष्टिकोण से विचार ही नहीं करेंगे, मैं समझती हूं कि यह सही नहीं है।

सभापति महोदय, मेरा दूसरा सवाल है, मंत्री जी ने करेंसी व्यवस्था में सुधार के लिए जो उपाय बताये हैं उनसे संबंधित है। इस संबंध में, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि हमने यह देखा है कि पिछले दिनों वाणिज्यिक बैंकों और सरकारी खजानों द्वारा परिचालित जो करेंसी चैक्स हैं उनकी संख्या में तो वृद्धि हुई है और उनकी संख्या बढ़कर चार हजार तीन सौ छयासी हो गई है, लेकिन जो नोट परीक्षण केन्द्र है, सैक्शन्स हैं, उनकी संख्या में लगातार कमी होती चली गई है। वर्ष 1994 में उनकी संख्या 102 थी और अब इनकी संख्या कम होकर सिर्फ 52 रह गई है। इसके कारण से रिजर्व बैंक के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में हम

देखते हैं कि जो सड़े, गले फटे हुए नोट हैं वे बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठे होते चले जा रहे हैं और उनके निपटारे की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है।

सभापति महोदय, इन नोटों के निपटारे के लिए रिजर्व बैंक ने एक बहुत ही खतरनाक पद्धति अपनाई है और जिसको बहुत ही खूबसूरत नाम "मोडीफाइड प्रोसीजर" दिया गया है। इस "मोडीफाइड प्रोसीजर" के तहत यह किया जा रहा है कि एक रुपया, दो रुपया, पांच रुपया और दस रुपये के नोटों तक के लिए पहले आपने व्यवस्था की थी कि उनकी जांच करके उनको जला दिया जायेगा, लेकिन अब आपने उसमें पचास रुपये के नोट को भी शामिल कर लिया है। सभापति जी, आर०बी०आई० ने यह निर्णय लिया था कि मोडीफाइड प्रोसीजर के अन्तर्गत नमूने के तौर पर 15 प्रतिशत नोटों की जांच की जायेगी। जब यूनियन ने यह मामला उठाया तो इसे 15 प्रतिशत से बढ़ा कर 20 प्रतिशत कर दिया और अब इसे 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि 50 रुपए से बड़ी राशि के नोटों के मामले में इस तरह की प्रक्रिया को अपनाने से क्या हमारी करेन्सी की व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा? यह काम सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि जो करेन्सी सेक्शन्स हैं, उसमें कर्मचारियों की छंटनी कर दी जाए। इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ मेरे प्रश्न का "बी" भाग यह है कि ...(व्यवधान)... यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है और मैं कोई अवान्तर बात नहीं कह रही हूं। सभापति महोदय, मेरे प्रश्न का "बी" भाग यह है कि 1979 में रिज़र्व बैंक ने समूची मुद्रा प्रणाली की जांच के लिए एक कमेटी, पी०आर० नायर कमेटी का गठन किया था। उस समय यह स्वीकार किया गया था कि बैंक में आने वाले नोटों की अच्छी तरह से जांच करने के लिए आर०बी०आई० के पास उपयुक्त इनफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कर्मचारियों की उपयुक्त संख्या नहीं है। इसलिए उन्होंने यह अनुशंसा की थी कि करेन्सी ट्रांजिट सेंटर खोले जाएं, सी०टी०सी० खोले जाएं, लेकिन आज तक उनकी सिफारिश पर अमल नहीं किया गया है। नायर कमेटी की सिफारिशों के अनुसार बैंक और कर्मचारी यूनियनों के बीच एक समझौता हुआ था जिसमें नोट एक्जामिनेशन सेंटर्स में ही एक रिवाइज्ड प्रोसीज़र को अपनाने की बात कही गई थी कि एक ऐसा सिस्टम अपनाया जाए जहां एक्जामिनेशन सेंटर में ही नोटों की सफाई और उनकी जांच के काम को दुगुना किया जा सके। लेकिन आज तक उस काम को किया नहीं जा सका है और रिवाइज्ड प्रोसीज़र के अंतर्गत केवल 10-12 सेक्शन्स को ही लाया गया है। इसलिए सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं कि जो नोट एक्जामिनेशन सेंटर्स हैं, उनको मजबूत करने के लिए हमारे मंत्री जी क्या काम कर रहे हैं और ये जो सिफारिशें, जो अनुशंसा नायर कमेटी ने की है, उनके बारे में मंत्री जी क्या कर रहे हैं?

श्री यशवंत सिन्हा: सभापति महोदय, यह जो सवाल था, यह मूल रूप से जो फेक इंडियन करेन्सी सरकुलेशन में है, खासकर नेपाल सीमा से जुड़ा हुआ हमारे देश का जो भाग है, उसके

वारे में था। मैं सदन को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि इसमें सात-आठ एजेंसीज़ मिलकर काम करती हैं। सिर्फ रिजर्व बैंक आफ इंडिया ही इसमें अकेले काम नहीं करता है, इसमें मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट आफ इकानामिक अफेयर्स है, डायरेक्टर जनरल आफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, सी०बी०आई० है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, स्टेट की पुलिस है। तो बहुत सारी एजेंसीज़ जहां फेक इंडियन नोट्स को पकड़ने का काम करती हैं, वहां इसके प्रति जागरूकता लाने का और विजिलेंस का काम भी करती हैं। आर०बी०आई० के ऊपर मुद्रा विस्तार, मुद्रा नियंत्रण की विशेष जिम्मेदारी है। अब हमने क्या देखा है? चूंकि बहुत विस्तार से प्रश्न पूछा गया है तो थोड़ा विस्तार से मैं उत्तर देना चाहता हूं कि हमने यह पाया कि जब से हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इसमें ज्यादा ऐक्टिव हुआ है, उस समय से यह समस्या और ज्यादा बढ़ी है। उनका ज्यादा जो कान्सन्ट्रेशन है, वह सौ रुपए और उससे भी अधिक पांच सौ रुपए के नोट्स को काउंटरफीट करने के लिए होता है और सन् 2000 में जो सारे जाली नोट पकड़े गए उसमें 96% 100 या 500 रुपये के जाली नोट थे। क्योंकि इसमें दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ देश हैं जहां पाकिस्तान की जो ऐम्बेसीज़ हैं, वे ऐक्टिव हैं, वहां से दक्षिण भारत के राज्यों में फेक करेन्सी आती है। हमारी जो पश्चिमी सीमा है, वहां से फेक करेन्सी आती है और इंडो नेपाल बार्डर से भी फेक करेंसी आती है। पांच सौ रुपए के जो नोट हैं, उसके बाद सौ रुपए के जो नोट हैं, इस पर उनका ज्यादा कान्संट्रेशन है। मैंने इसका पूरा इतिहास भी देखा है कि 60 और 70 के दशक में दस रुपए, बीस रुपए का नोट ज्यादा काउंटरफीट होता था। उसके बाद पचास रुपए का नोट ज्यादा काउंटरफीट हुआ। जबसे पाकिस्तान ज्यादा ऐक्टिव हुआ है, तब से सौ और पांच सौ रुपए के नोटों में ज्यादा काउंटरफीटिंग हो रही है। उसमें ये जाली नोट चल रहे हैं। अब आर०बी०आई० ने इसके लिए क्या किया? आर०बी०आई० के पास आज पांच ऐसी मशीनें हैं जिनसे कि जल्दी-जल्दी हम इन नोटों की जांच करके वापस ले सकते हैं। जिससे कि बहुत जल्दी-जल्दी इसकी जांच करके हम वापस ले सकते हैं। आर०बी०आई० ने पूरे देश में एक जागरूकता का, अवेयरनेस का कैम्पेन चलाया है। दूरदर्शन और अखबारों के माध्यम से बार-बार इसे दिखाया गया है। हमारी बैंक ब्रांचेज की सत्तर प्रतिशत ब्रांचेज में अल्ट्रा वायलेट लैम्पस का प्रोविजन किया गया है जिसके माध्यम से हम फेक करेंसी नोट की तुरंत जांच कर सकते हैं। आर०बी०आई० और बाइस मशीने इम्पोर्ट कर रही है जिससे करेंसी वैरीफिकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, जो आर०बी०आई० लगाना चाहती है, को और आगे बढ़ाने का काम करेगी। जब ये मशीने आ जाएंगी, हमें उम्मीद है कि जून के प्रथम सप्ताह तक ये मशीनें चालू हो जाएंगी, इनके आने के बाद करीब पांच से छह बिलियन पीसेस आर०बी०आई० वैरीफाई करने की स्थिति में आ जाएगी।

आर०बी०आई० ने एक दूसरी व्यवस्था यह की है कि 1987 का जो पांच सौ के नोट का इश्यू है, इनकी ज्यादा काउंटर-फीटिंग हो रही है क्योंकि उस समय इनके सिक्योरिटी फीचर्स इतने

मजबूत नहीं थे, जितने की जो 2000 के इश्यू जारी हुए हैं, के लिए हमने किए हैं। इसलिए 2000 में जो इश्यू हुए हैं उनकी काउंटर-फीटिंग नहीं हो रही है लेकिन 1987, 1997 की काउंटर-फीटिंग हो रही है। इसके लिए आर०बी०आई० ने सबको एडवाइज किया है, यह परामर्श दिया है कि जिनके पास 1987, के पांच सौ के नोट हैं, वे आर०बी०आई० की ब्रांच में जाकर बदली कर लें और नये करेंसी नोट ले लें। आर०बी०आई० के पास वे सामान्य ढंग से आ रहे हैं, इसलिए आर०बी०आई० उसे दुबारा इश्यू नहीं कर रही है। आर०बी०आई० ने जो हमें सूचना दी है उसके मुताबिक 80 प्रतिशत नोट आर०बी०आई० ने वापस ले लिए हैं और 20 प्रतिशत नोट अभी सर्कुलेशन में हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी ही एक ऐसा समय आएगा जब हम सौ प्रतिशत वापस ले लेंगे।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदन से कहना चाहूंगा कि सबसे आसान तरीका यह है कि हम उसे डीमोनिटाइज कर दें तो इससे अफरा तफरी मचेगी, जो शायद एक सही रास्ता नहीं होगा। जैसा कि मैंने कहा कि हम लोगों के बीच जागरूकता के माध्यम से चेतना फैलाकर इसे करना चाहते हैं। यदि लोगों के पास पांच सौ के पुराने नोट हैं तो वे आर०बी०आई में, बैंकों में जाकर बदल लें और 2000 को इश्यू किया गया जो पांच सौ का नोट है उससे उसे रिप्लेस कर लें। इससे हम इसके ऊपर आसानी से विजय पा सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि डे टू डे मैनेजमेंट आर०बी०आई० के जिम्मे हैं। जो काउंटर-फीट करेंसी नोट हैं, फेक इंडियन करेंसी नोट हैं उसमें सरकार पूरी तरह से इन्वोल्व है डे टू डे मैनेजमेंट आफ मानिटरी पालिसी आर०बी०आई० के जिम्मे है, आर०बी०आई० इसे देखती है। इसके लिए हमने एक कमेटी बनाई है जिसमें नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का भी इन्वोल्वमेंट है। उस कमेटी की मीटिंग्स हुई हैं, उसकी रिपोर्ट्स हमारे पास आएंगी। वह कमेटी नये उपाय सुझाने जा रही है। इसके अतिरिक्त इस समस्या से निबटने के लिए हम और क्या कर सकते हैं इसके प्रति हम पूरी तरह से जागरूक हैं। मैं आपके माध्यम से फिर से सदन को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हम इसके प्रति पूरी तरह से जागरूक हैं। यह जो समस्या है, जैसा कि मैंने अभी कहा, मैं आपके माध्यम से पूरे विश्वास के साथ सरला जी से निवेदन करूंगा, मैं पूरे विश्वास से इस बात को कह रहा हूँ कि हमारे पड़ोसी देश की सारी बदनीयती के बावजूद भी यह उसकी ताकत में नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था को इसके चलते डीस्टेबलाइज कर सके या विचलित कर दे। हम जागरूक हैं और इसका डटकर मुकाबला करेंगे।

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Mr. Chairman, Sir, from the reply given by the hon. Finance Minister, we have come to know that

counterfeit currency notes are being smuggled into India by Pakistan, our neighbouring country. I would like to know from the hon. Minister whether there is any provision in any international law for taking up this matter in the UNO. If so, what action has been taken in this regard? If there is no such provision in any international law, what action the Government has taken to prevent this menace?

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, it is a very relevant question that the hon. Member has put. We have come across evidence of the involvement of Pakistani Missions, specially in Kathmandu, and the House will recall because it is in the public domain and it has been published in newspapers that on 3rd January, 2002, the Nepalese police arrested an Assistant of the Counsellor Wing of the Pakistani Embassy in Kathmandu with fake Indian currency notes. And, there are other evidences, which have been collected by our investigating agencies, which shows that Pakistan and its agency, ISI, are responsible for smuggling, on a large number of occasions, of fake Indian currency notes into our country. We have taken up this matter with the Government of Nepal and an agreement has already been reached that the Government of Nepal and the Government of India will co-operate with each other in order to prevent this kind of activity by the Pakistani Mission in Kathmandu. So, on bilateral basis, wherever these issues are coming to our notice, we are taking it up with the concerned Governments. Sir, internationally, we have not taken it up so far because, as I said, it is a problem limited to Kathmandu and some of the Pakistani Missions in South-East Asia. We are in touch with those Governments there also so that we nip this evil in the bud.

SHRIMATI S.G. INDIRA: Sir, I would like to know from the hon. Minister whether the Government have taken any steps to issue foolproof currency notes and entered into an agreement with any country for this purpose. If so, the details thereof?

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, the Reserve Bank of India, which is responsible for managing the currency notes in the country, has engaged itself, constantly, in the task of improving the security features of Indian currency notes. Therefore, as I was mentioning a

little while earlier, the 2000 issue of Rs. 500 currency notes has the security features which cannot easily be tampered with. We must also realise that just as we are improving our technology, the counterfeiters are also improving their technology; and if the Governments get involved in printing other country's currency notes, then, the problem becomes even more serious. But, we have improved the security features and the High-level Committee that I have been talking about, is currently engaged in the task of studying these security features in our currency notes. We have enough expertise. We do not have to depend on other countries or enter into an agreement with them to improve the security features of our currency notes; and we are constantly engaged in this task.

SHRI K.M. SAIFULLAH: Sir, hon. Minister has said that all fake notes are coming from Pakistan. I want to know as to what is the similarity between a counterfeit 500-rupee note printed in Pakistan and the original Indian 500-rupee note? The other point is, the hon. Minister has been saying, categorically, that those notes are coming only from Pakistan. Of course, everybody knows that those are coming from Pakistan. I would like to know from him whether he is sure that nobody is printing counterfeit notes in India and at other places.

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, I cannot rule out the possibility of some domestic counterfeiters are also being active. In fact, some of them are also active within the country. But I would like to assure the House, through you, that their technology is not quite advanced and they can easily be detected. The quantity is also very small when compared to what is coming from outside. I am saying this with a sense of responsibility, and not in a casual manner that I am making this point about our neighbouring country namely, Pakistan because I have said earlier, we have evidence to suggest that they are very active in this field. As far as the security features are concerned, a question which the hon. Member has asked. I am told by the RBI, that we have now introduced the security thread in the 500-rupee note which cannot easily be imitated. These features and some other features which are there are the ones which Karan Singhji, is probably, taking out his note to make sure.

DR. KARAN SINGH: No, no. I have got only Rs. 50 with me.

SHRI YASHWANT SINHA: So, it is the security thread, which is almost tamper-proof now. As I said, this is something where the battle will have to go on between the counterfeiters and the genuine printers, because counterfeiting is as old as the whole system of currency. So, we will continue to tackle the problem.

SHRI PREM CHAND GUPTA: Mr. Chairman, Sir, generally, world over, printing and circulation of fake currency is the handiwork of some gangs. But, as far as this particular case is concerned, it is a State-sponsored act being done by our neighbour. In Nepal, a Pakistani diplomat was caught red-handed with fake currency. Similarly, in one of the South-East Asian countries also, a Pakistani diplomat was caught red-hand d circ. 'ating fake currency. That issue could have been exploited by using in..rnatio. l media and various international fora. Mr. Chairman, Sir, detection of the fake currency, after it has been circulated, by the Reserve Bank of India or the commercial banks is not going to solve the problem. The solution lies in detecting it at the circulating point itself. In Nepal and border towns, fake currencies are being freely circulated. As the hon. Minister of Finance has said, 8 agencies have been appointed to tackle this problem. They are doing their job. I would like to suggest to the hon. Minister to introduce a coordinating programme so that the fake currency is detected at the circulating point itself, that is, Nepal. Besides Nepal, in Thailand also, millions of fake Indian currency was seized. So, some such activities are going on in Bangkok also. Though a great amount of fake currency was seized, no action was taken. I would like to know from the hon. Minister of Finance as to what specific steps he intends to take in order to ensure that the fake currency is seized and detected at the point of circulation itself.

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, it has to be a multipronged approach or we have to catch them when they try to bring it in circulation, we have to catch them when they try to bring it into our country at borders. We have to be alert, right through, so that we are able to bring the culprits to book. But a very important point which the hon. Member has made is about coordination. As the hon. House

is aware, the hon. Prime Minister had appointed a Group of Ministers to look into the national security issues. That Group of Ministers has also looked into the issue of counterfeit currency, because it does have a great impact on the national security of our country. The Government has decided to appoint the National Security Council as the coordinating agency for this issue also. The National Security Council will coordinate the efforts of all the agencies, so that we are able to fight this menace unitedly and effectively. Mr. Chairman, Sir, I would like to bring to the notice of the House that, for instance, on 12th May 2001, it was the Customs Department at Muzzafarpur in Bihar which seized the fake Indian currency worth of Rs. 28 lakhs, which had been smuggled into our country. Then, further inquiries were made. They were smuggled into India through a diplomatic bag of the Pakistan Mission. Now they are going to that extant and they are misusing the diplomatic bag facility in order to smuggle fake currency into this country. This is something where we have to be very very alert and very cautious. Though I have some figures with me, I don't want to take the time of the House. The Revenue Intelligence agencies, the other intelligence agencies are constantly issuing alert where they are suspecting smuggling of fake Indian currency, and effective action is being taken.

MR. CHAIRMAN: Now, there are 15 more hon. Members who want to speak on this ...*(Interruptions)*

SHRI SATISH PRADHAN: Sir ...*(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: No. Already, half-an-hour has been spent on one question. There are 15 more Members who want to speak on this question. Now, next question.

*222. *[The questioner (Shri C.O. Poulose) was absent for answer vide page 24 infra.]*

*223. *[The questioner (Shri P. Prabhakar Reddy) was absent for answer vide page 26 infra.]*

*224. *[The questioners (Shrimati Ambika Soni and Shri Karnendu Bhattacharjee) were absent for answer vide page 27 infra.]*